

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.14(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2014

जयपुर, दिनांक : 05.09.2014

आदेश

राज्य में चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण राजकीय अस्पतालों में आम जन को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर walk-in-interview के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1(4)एफडी/रूल्स/2011 पार्ट II दिनांक 27.06.2014 (प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है) में दिये गये निर्देशों के अनुसार एन. आर. एच. एम. सोसायटी/आर. एम. आर. एस. के द्वारा की जावेगी।

उक्त संदर्भ में जितने पदों पर नियुक्ति की जावेगी विभाग में स्वीकृत उतने ही पदों को kept in abeyance रखा जावेगा। इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा दी गई राय/सहमति (प्रति संलग्न) के अनुसार ही की जावेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे जा सकेंगे। इनको देय संविदा राशि NRHM की गाइडलाइन्स/दिशानिर्देश के अनुरूप होगी।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई. डी. संख्या 1214100193 दिनांक 05.09.2014 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक उप्रेती)

शासन प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को वित्त (नियम) विभाग की आई. डी. संख्या 1214100193 दिनांक 05.09.2014 एवं परिपत्र क्रमांक 1(4)एफडी/रूल्स/2011 पार्ट II दिनांक 27.06.2014 की प्रति संलग्न कर लेख है आवश्यक कार्यवाही करावे तथा नियुक्ति के संबंध में प्रत्येक माह पदों का आवश्यक रूप से रिव्यू किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही यह निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य में हो रहे वि.स. उप चुनाव यथा वैर, सूरजगढ़, कोटा शहर, नसीराबाद क्षेत्रों में चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति की कार्यवाही आचार संहिता हटने के बाद ही की जायेगी।
6. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प.2/2014/ 403

दिनांक:-10/09/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृष्ठांकित कर लेख है कि आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27/06/14 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही करवाने तथा नियुक्ति से संबंधित सूचना प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावे:-

- 1) समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 2) समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 3) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 4) प्रभारी सेंट्रल सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सभी संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 5) आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर